एक नजर में

सद्भावना मंच सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में मृतकों को दी श्रद्धांजलि

खंडवा। सद्भावना मंच द्वारा पहलगाम के सैराबन (कश्मीर) आतंकी नरसंहार में निर्दोष पर्यटकों की निर्ममता पूर्ण की गयी हत्या को कायराना हरकत एवं एक अमानवीय कृत्य बताते हुए निर्दोष मृतकों को मंच संस्थापक प्रमोद जैन की विशेष उपस्थिति में मंच सदस्यों द्वारा कैंडल जलाकर तथा 2 मिनट मौन रखकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। यह जानकारी देते हुए मंच के निर्मल मंगवानी ने बताया कि बुधवार को मंच पर आयोजित शोक सभा के दौरान श्री जैन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। दादाजी महाराज से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। दुश्मनों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाए, उन्हें इस कायराना हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकी हमले को भारत देश के पर्यटन पर सुनियोजित साजिश बताते हुए सद्भावना सदस्यों द्वारा घटना पर शोक व्यक्त कर केंद्र सरकार से देश से आतंकवाद जड से समूल समाप्त करने का आव्हान किया है। इस अवसर पर प्रमोद जैन, पूर्व डीएसपी आनंद तोमर, डॉ जगदीशचंद्र चौरे, डा. आशाराम पटेल, देवेंद्र जैन, सुरेन्द्र गीते, गणेश भावसार, निर्मल मंगवानी, कैलाश चौरे, अर्जुन बुंदेला, एनके दवे, राधेश्याम शाक्य, कैलाश पटेल, सुभाष मीणा आदि सहित मंच सदस्यों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

कलेक्टर ने एक को किया जिला बदर

खण्डवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर अनावेदक निखिल पिता कैलाश देवारे निवासी संजय नगर थाना पदमनगर, खंडवा को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार अनावेदक निखिल पिता कैलाश देवारे निवासी संजय नगर थाना पदमनगर, खंडवा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार अनावेदक निखिल पिता कैलाश देवारे निवासी संजय नगर थाना पदमनगर, खंडवा के विरुद्ध आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर लोगों के साथ मारपीट करने, लड़ाई झगड़ा करने, गंभीर चोट पहुँचाने, अवैध शराब रखने एवं अवैध रूप से हथियार रखना, आगजनी करना, दंगा बवाल करना, अवैध वसूली करना, जान से मारने की धमकी देना, जिला दंडाधिकारी खंडवा द्वारा समय समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की अव्हेलना करना एवं शांति प्रशांति को भंग करने जैसे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया। इस अवधि में यह जिला बदर अनावेदक खण्डवा जिले के साथ-साथ बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिले की सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।

श्री सूक्तेश्वर महादेव मंदिर और सुक्ता नदी पर श्रम दान कर जल संरक्षण का दिया संदेश

खंडवा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला खंडवा विकासखंड पंधाना नवांकुर संस्था सार्थक एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी पोखरखुर्द सेक्टर क्रमांक 02 बोरगांव बुर्जुग के ग्राम पंचायत बाघमाला (हेमगिर) में ब्लॉक समन्वयक अजय गुजरे के मार्गदर्शन में श्रीसूक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में जल संगोष्ठी की गई, जिसमें ब्लॉक समन्वयक अजय गुजरे द्वारा जल संरक्षण पर चर्चा की गई। साथ ही श्रीसूक्तेश्वर महादेव मंदिर एवं सुक्ता नदी में श्रमदान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मंदिर प्रांगण में साफ सफाई की गई और लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था अध्यक्ष राहुल पटेल, प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष अशोक जी एवं ग्रामीणजन उपस्थित हुए।

अग्नि शामक यंत्र को चलाने का प्रशिक्षण

खण्डवा। 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक फायर सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु मंगलवार को श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल द्वारा सभी नर्सिंग ऑफीसरों एवं अन्य स्टाफ को आगजनी की

घटनाओं से निपटने के लिए मीटिंग आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा अग्नि शामक यंत्र को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया तथा विभिन्न प्रकार की आग जैसे बिजली, तेल, या कागजों और उनके लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों से नियंत्रण करना शामिल है। यंत्र के विभिन्न भाग जैसे पिन, नोजल, हैंडल की पहचान करना और उनके कार्यों को समझना तथा यंत्रों को सही ढंग से उठाने ले जाने और संचालित करने की तकनीकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नर्सिंग ऑफीसरों एवं अन्य स्टाफ से अग्निशामक यंत्र को चलाने का प्रैक्टिकल भी करवाया, ताकि आपातकालीन स्थिति में हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। उन्होंने बताया कि यंत्र को चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना और हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए एवं (पी.ए.एस.एस.) पास का पालन करते हुए सर्वप्रथम अग्निशामक के शीर्ष पर लगी सुरक्षा पीन को खींचे, फिर नोजल को आग के आधार पर लक्षित करें, और बुझाने वाले यंत्र के हैंडल को दबाएं, उसके पश्चात नोजल को आग के आधार पर अगल-बगल घुमाएं। इस तकनीक का उपयोग करके आग बुझाने में कैसे सफल होना है, यह जानकारी देते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने मास्क पहने एवं आग बुझाने के दौरान खतरे की स्थिति के आंकलन करने और सुरक्षित निकासी के मार्ग की पहचान करने की क्षमता के बारे में जानकारी दी। उसके पश्चात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अस्पताल में अग्निशामक उच्चतम मानकों को बनाए रखने की शपथ ली गई। शपथ का वाचन महामारी विशेषज्ञ डॉ. योगेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. एम.एल. कलमे, डॉ. रंजीत बडोले, डॉ. शक्ति सिंह राठौड़, डॉ. दीपक पचोरे, मेट्रन बेशर वरिया, सेल्वी थॉमस, मैटर रचना ओड सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम

खंडवा। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के ए- ब्लॉक में मंगलवार को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डीन डॉ. संजय दादू एवं सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल के मार्गदर्शन में किया गया। जिसमें मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉ. रंजीत बडोले द्वारा उपस्थित मरीजों एवं उनके परिजनों को पर्यावरण संरक्षण एवं पृथ्वी की रक्षा और सतत विकास के प्रति जागरूक किया गया तथा यह भी बताया कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारी एकमात्र घर है और हमें इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाकर रखना है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति जागरूकता, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय को अपनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक और अन्य हानिकारक प्रतिरोध से बचाव, बिजली पानी का सही उपयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरुक करने हेतु अपील की। मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं जिसमें श्रेया, दीपिका बघेल, प्रियंका वर्मा, दिव्या चौहान, कुलदीप राजोरा, रवि अहिरवार, हर्षित वास्कले, सूरज अहिरवार द्वारा पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉ. सुनील बाजोलिया, डॉ. रिचा, एम.बी.बी.एस.के छात्र-छात्राओं सहित नर्सिंग स्टाफ एवं समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

11 साल से थाने में रखी 90 लाख की शराब पर रोलर चला

नवभारत न्यूज

खंडवा। हरसूद पुलिस ने जप्त की गई 12 हजार 310 लीटर शराब का नष्टीकरण किया गय। न्यायालय के आदेश पर रोड रोलर चलाकर 90 लाख रूपए की शराब को नष्ट किया गया। हरसूद में 11 साल से ये शराब रखी हुई थी।

कुल 12 हजार 310 लीटर अंग्रेजी शराब थाना हरसूद के मालखाने मे वर्ष 2014 से रखी हुई थी। पिछले 11 बर्षों से थाने के मालखाने में रखी अंग्रेजी शराब के नष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एस डी ओ पी हरसूद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरसूद ने पहल की।

जप्तशुदा शराब के निराकरण एवं नष्टीकरण के दौरान जिला दण्डाधिकारी खण्डवा के आदेश से गठित समिति एसडीओपी हरसूद लोकेन्द्रसिंह ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सी.एस. मीणा, तहसीलदार हरसूद संगीता मेहतो की उपस्थिति में रोड रोलर की सहायता से थाना परिसर थाना हरसूद में थाना प्रभारी हरसूद निरीक्षक राजकुमार राठौर ने इस शराब को अंजाम तक पहुंचाया।

विश्व पृथ्वी दिवस पर इंदिरा सागर पावर स्टेशन परिसर में पौधारोपण

नवभारत न्यूज

नर्मदानगर। इंदिरा सागर पावर स्टेशन में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में रहवासी कालोनी स्थित रेवा उद्यान में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख अजीत कुमार की अगुवाई में विनोद कुमार सिंह, महाप्रबंधक (ओएण्डएम), गोपाल खण्डेलवाल, महाप्रबंधक (सिविल), एच.पी. सिंह, महाप्रबंधक (आईटी) की उपस्थिति में सभी ने छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया।

इस अवसर पर निगम मुख्यालय भोपाल से पधारे नरेश कुमार चेलानी, महाप्रबंधक (सिविल) एवं समस्त विभागाध्यक्षों के साथ बड़ी संख्या में कार्मिक ने भी पौधारोपण किया।

पृथ्वी पर जीवन के होने का मुख्य कारण यहां का जीवानुकुल पर्यावरण है जोकि इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता हैं। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना है, जिसके अनुसार पृथ्वी दिवस को पर्यावरणीय मुद्दों जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिर्वतन और लुप्त प्राय: प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई का आह्वान है, क्योंकि पृथ्वी पर पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ही जीवन संभव है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

इस अवसर पर परियोजना प्रमुख अजीत कुमार ने बताया कि एनएचडीसी की पर्यावरण नीति के अनुसार जलविद्युत उत्पादन की अग्रणी कंपनी होने के नाते भी जल संरक्षण, वाहनों का इष्टतम उपयोग, कचरे का उचित निपटान, पॉलीथीन का प्रयोग न करना और अपने आस-पास उचित स्वच्छता एवं सफाई बनाये रखने से ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है इससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

एनएचडीसी लिमिटेड जोकि एनएचपीसी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन का संयुक्त उद्यम है, जोकि सन् 2000 में स्थापित हुई थी। वर्तमान में इसकी दो जलविद्युत परियोजनाएं इंदिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) एवं ओंकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) तथा दो सोलर परियोजनाएं ग्राउंड माउंटेड सांची सोलर प्रोजेक्ट (8 मेगावाट) तथा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (88 मेंगावाट) द्वारा उत्पादित शत् प्रतिशत मध्यप्रदेश को दी जा रही है। एनएचडीसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के अन्य विकल्पों के माध्यम से भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत् है।

ग्रीष्मकालीन समर कैंप

नवभारत न्यूज

खालवा। ग्रीष्मकालीन समर कैंप राइस स्कूल खार कला में 20 अप्रैल से समर कैंप चल रहा है। जिसका समापन 30 अप्रैल को होगा।

संस्था के छात्र-छात्राओं को अंदर की आवाज बाहर की कहानी अभिव्यक्ति जुड़ाव की यात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम मेडिटेशन ध्यान योग खेल दौड़ आदि विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं।

प्राचार्य वीरभद्र सिंह तोमर संस्था एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी पीसी सिंह करें के द्वारा कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें किरण जायसवाल एवं संस्था का समस्त स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

स्कूल में प्रवेश जारी

खालवा। सीएम राइस स्कूल खारकलां में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह जानकारी देते हुए प्राचार्य वीरभद्र सिंह तोमर ने बताया एलकेजी, यूकेजी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। 10.30 से 12.30 तक रिक्त सीटों हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक रहेगी। संस्था में प्रवेश हेतु शिक्षक अनवर खान एलकेजी से कक्षा आठवीं तक प्रवेश देंगे।

फर्जी मैनेजर को पुलिस ने दबोचा, दो दिन का रिमांड

नवभारत न्यूज

खंडवा। फर्जी कंपनी के कथित मैनेजरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत पर आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दो दिन की रिमांड में और भी खुलासे होने की संभावना है।

मैनेजर फिरोज पिता इकबाल निवासी ग्राम सिहाड़ा व शादाब पिता तौकिर कुरैशी निवासी टॉवर वाली गली खानशाहवली कॉलोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार दोपहर न्यायालय में पेश किया। पुलिस को पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड मिली है।

ऊंचे रिटर्न का लालच

घर बैठे कमाई का लालच देने वाली फर्जी कंपनी रॉयल मोसे मिल्क टी आखिरकर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी कर भाग गई थी। करीब डेढ़-दो साल से कंपनी कथित कंपनी के एरिया मैनेजर और खुद को कंपनी का अधिकारी बताने वाले शादाब कुरैशी और फिरोज सिहाड़ा वाला ने लोगों को ऊंचे रिटर्न की लालच देकर मोबाइल में एप डाउनलोड कराया।

ऐसे उलझे लोग

लालच भरी बातें सुनकर लोगों ने ब्याज पर रुपए लेकर कंपनी में पैसा लगाना शुरू किया था। अकाउंट में रुपए आना बंद हुए तो लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग रुपए लगाकर फंस गए। एक युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएनस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है।

थाने में आवेदन से खुलासा

23 अप्रैल की दोपहर 2 बजे गणेश तलाई निवासी फरियादी लोकेन्द्र पिता कमलचंद धुर्वे उम्र 32 साल निवासी गणेश तलाई ईंट भट्टा रोड खंडवा अपने साथ हुई ठगी की शिकायत करने आवेदन लेकर पहुंचा। फरियादी लोकेंद्र ने बताया कि आरोपियों ने मेरे को बताया कि रॉयल मोसे एप में पैसा लगाओ तो कुछ ही दिनों में तुमको पैसा डबल मिलेगा।

आदतन अपराधियों से भरवाए बाउंड ओवर

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले के विभिन्न थानों में 24 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 17 प्रकरणों मे 17 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 07 प्रकरण मे 07 अनावेदकों के विरुद्ध अनावेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले में 12 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई कराई गई है।

पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में 16 गिरफ़्तारी वारंट, 24 जमानती वारंट, 43 समन जिले के विभिन्न थानों के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।

अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए। थाना पंधाना के आरोपी सुखलाल पिता गनसिग जाति भिलाला उम्र 35 साल नि. ग्राम आरूद थाना पंधाना के कब्जे से एक प्लास्टिक की केन मे करीबन 09 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 900/-रूपए की जप्त की गई। थाना छैगांवमाखन के आरोपी रामसिंह पिता गेनिया जाति बारेला उम्र 34 साल निवासी गड़बेडा ग्राम देशगांव कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 1500/-रूपए की जप्त की गई। थाना पिपलोद के आरोपिया किशोरी पिता राजु जाति भील उम्र 60 साल निवासी ग्राम

मोरदड के कब्जे से कुल 08 लीटर देसी हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 800/-रूपए की जप्त की गई। थाना मूंदी के आरोपी राहुल पिता ईश्वर जाति कहार उम्र 28 साल नि. वार्ड क्रमांक 1 मूंदी के कब्जे से 8 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 640/-रूपए की जप्त की गई। उक्त सभी आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

जिला खंडवा में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाने वाले तथा अन्य यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले कुल 58 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं समन शुल्क 26000/-रुपए वसूल किए गए है। पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

खेत के ड्रीप चोर को 1 साल का कारावास

नवभारत न्यूज

खंडवा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रचना अतुलकर जोशी ने पूनम पिता जयराम, निवासी मोहना, आशिक पिता मजिद, बंशी पिता पन्नालाल, अमजद पिता अदम सभी निवासी पुनासा को 01-01 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। 06 सितंबर 21 को फरियादी कड़वा ने थाना धनगांव में मामला दर्ज कराया था।

उसके खेत हरवंशपुरा रोड पर मैंने ड्रीप नली के टुकड़े 15 किलो देवास पाईप के टुकड़े 75 किलो काला पाइप हस्ती वाला 75 किलो, लोहा 50 किलो व अन्य सामग्री 35 किलो रखा था। जिसकी कीमत

करीबन 6 हजार रूपए थी।

खेत पड़ोसी दुगलु ने बताया कि कुछ व्यक्ति भंगार भरकर चुराकर ले जा रहे हैं। मैनें दौड़कर चारों को गाड़ी सहित रोका। उन्होंने अपना नाम पूनम, आशिक, बंशी एवं अमजद बताया। गाड़ी नंबर एम.पी. 09 एल.एन 900 पीक-अप वाहन था। डायल 100 पर सूचना दी, डायल 100 मौके पर आई। सबको थाने लाए। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

आक्रोश- ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कठोर सैनिक कार्रवाई की मांग

पहलगाम की घटना पर वकीलों ने काली पट्टी बांधी

नवभारत न्यूज

खंडवा। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर खंडवा के अधिवक्ताओं ने आतंकियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने को लेकर विरोध एवं काली पट्टी बांधकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर अंशु जावला को देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।

समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि पहलगाम की आतंकवादी घटना का विरोध पूरे देश में हो रहा है अधिवक्ताओं ने भी घटना के विरोध स्वरूप ज्ञापन शॉप कर देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से मंकी आतंकवाद को जड मूल से नष्ट कर देने हेतु आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई हो धर्म के आधार पर निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या करने के आतंकवादी घटना से देश दुखी और स्तब्ध है इसके विरोध में आज खंडवा के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद कड़ा विरोध कर निंदा और भर्त्सना की।

अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भारत माता की जय वंदे मातरम पाकिस्तान मुर्दाबाद के

नारे लगाकर आतंकवादी घटना में मारे गए सभी निर्दोष 26 हिंदुओं को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए डिप्टी कलेक्टर अंशु जवाला को देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आतंकवाद को जड़-मूल से नष्ट कर देने हेतु पाकिस्तान पर कठोर सैनिक कार्रवाई की मांग की।

देवेंद्र सिंह यादव ने सभी अधिवक्ताओं को काली पट्टी लगाते हुवे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कश्मीर में अमन चैन लौटा है और आतंकवाद लगभग खत्म हुआ है, इससे पाकिस्तान और भारत विरोधी शक्तियों में बड़ी बेचैनी सी है और वह भारत के महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ते कदमों से भी घबराए हुए हैं, इसीलिए अब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के द्वारा धर्म आधारित आतंकवाद फैलाने का साहसिक प्रयास कर रहा है।

इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रविंद्र पाथरिकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर सचिव अभिषेक सोहनी, देवेन्द्र सिंह यादव, अरुण दुबे, राकेश थापक, प्रणय गुप्ता, शशांक गांवशिंदे, रंजन जैनी, मनोज तंवर, संतोष गौर, अभिषेक मालाकार, पुष्पा गौर, मनोज फूलमाली सुजान सिंह राठौड़ अश्विनी भाटे, गौरव अग्रवाल, विजय मालाकार, राजेश पटेल, जुगल किशोर महेश्वरी आनंद सोहनी ओ पी चौरे, पंकज महाले, डी डी आसवानी, सुंदर राजपूत, सम्पत पाँचोरे शाहिद बड़ी संख्या में अधिवक्तागण आक्रोशित और उपस्थित थे।